न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री ब्रह्मलाल जाट , आर.ए.एस.

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1 पुरूषोतम पुत्र छगनलाल ब्राहम्ण
2 कौशल्यादेवी पत्नी पुरूषोतम ब्राहम्ण
सा. चौसला तह. नावां

1. आनादेवी पत्नी गोपालराम जाट सा. त्योद
2. नेमीचन्द पुत्र नंदलाल ब्राहम्ण सा. चौसला
3. गोरधनलाल पुत्र सुरजकरण गुर्जर
4. सुखदेव पुत्र सुरजकरण गुर्जर
5. रामदेवराम पुत्र सुरजकरण गुर्जर
6. जगदीशराम पुत्र सुरजकरण गुर्जर
7. ईश्वरराम पुत्र सुरजकरण गुर्जर
8. तीजादेवी पत्नी सुरजकरण गुर्जर
   सा. भाटीपुरा तह. नावां
9. शाखा प्रबन्धक युको बैक गुढा साल्ट
10. शाखाप्रबन्धक एस.बी.बी.जे.बैक शाखा सांभर
11. तहसीलदार नावां

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा।

उपस्थित :– श्री राजेन्द्र शर्मा , वकील वादीगण
श्री बजरंगलाल वकील प्रतिवादी 1 से 8

मुकदमां नम्बर :– 06 / 2019 निर्णय दिनांक :– 24.06.2019

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम लाखनपुरा के खसरा नम्बर 269, 271, 274 कुल रकबा 12.06 हैक्टयर भूमि स्थित हैं उक्त सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण की खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं पूर्व में उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से की भुमि वादी संख्या 1 के पिता स्व. छगनलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी तथा 1/2 हिस्से की भूमि वादी संख्या 1 के चाचा नंदलाल के नाम से

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी संख्या 1 के पिता छगनलाल का स्वर्गवासहोने पर उक्त भूमि वादी संख्या 1 व वादी के भाई प्रहलाद के नाम दर्ज हुई वादी के भाई प्रहलाद ने अपने हक व हिस्से में आई सम्पूर्ण भूमि का बैचान कर दिया जिसको वादी 2 ने जरिये रजिस्टर्ड बैचान से खरीद की हैं जिस पर वादीगण काबिज होकर निरन्तर काश्त करते आ रह है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने करीब 30-40 वर्षो से ही भौतिक बंटवारा कर लिया तथा सीवें नीवें अलग अलग कायम कर ली है। मौके पर भोतिक बंटवारे के अनुसार वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 271 रकबा 6.24 हैक्टयर में पश्चिमी तरफ की 6.03 हैक्टयर स्थित है जो वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें में मार्क "ए" से "डी" दर्शित है। वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम लाखनुपरा के खसरा नम्बर 269, 271, 274 कुल रकबा 12.06 हैक्टयर में से खसरा नम्बर 271 रकबा 6.24 हैक्टयर में से पश्चिमी तरफ की 6.03 हैक्टयर खातेदारी घोषणा कर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 ने जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण का वाद सही होने से स्वीकार करते हुऐ खसरा नम्बर 269 रकबा 1.65 हैक्टयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 271 रकबा 6.24 हैक्टयर भूमि में पश्चिमी सीवे के पास पास 0.038 हैक्टयर कुल 1.688 हैक्टयर भूमि की का खातेदार घोषित कर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है। साथ ही सेग्रीकेशन मे जाति जाट के स्थान पर ब्राहम्ण अंकित कर दी जो शुद्ध की जावे। प्रतिवादी 3 से 8 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुऐ जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रतिवादी 3 से 8 को खसरा नम्बर 274 रकबा 4.17 हैक्टयर भूमि में पूर्वी तरफ की 3.92 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग होल्डिंग कायम की जावे तथा सेग्रीकेशन में हम प्रतिवादीगण की जाति गूर्जर के स्थान पर ब्राहम्ण दर्ज दी जो दुरूस्त की जावे। प्रतिवादी 2 ने जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुऐ निवेदन किया हैं कि वादीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ अनुसार उनकी खातेदारी दर्ज कर अलग होल्डिंग कायम की जाती हैं तो कोई आपत्ति नहीं हैं उक्त भूमि में खसरा नम्बर 271 रकबा 6.24 हैक्टयर में पूर्वी सींव के पास पास 0.172 हैक्टयर खसरा नम्बर 274 रकबा 4.17 हैक्टयर में से पश्चिमी सीव के पास पास 0.250 हैक्टयर कुल 0.422 हैक्टरूर भूमि का प्रतिवादी 2 की खातेदारी में दर्ज करते हुऐ अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है। प्रतिवादी 9 से 11 के सम्मन विधिवत

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। साक्ष्य वादी में वादीगण स्वंय एवं गवाह कैलाशचन्द शर्मा पुत्र मांगीलाल उम्र 82 वर्ष व कैलाश चन्द पुत्र कालूराम जागीड़ उम्र 45 वर्ष के शपथ पत्र पेश किऐ हैं और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की जाकर वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवचेन के अनुसार वादीगण ने वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2071–74 पेश की हैं जिसके अनुसार ग्राम लाखनपुरा के खसरा नम्बर 269, 271, 274 कुल रकबा 12.0600 हैक्टयर भूमि में पुरूषोतम पुत्र छगनलाल, कौशल्यादेवी पत्नी पुरूषोतम, नेमीचन्द पुत्र नन्दलाल जाति ब्राहम्ण सा. देह , आनादेवी पत्नी गोपालराम जाति जाट सा. त्योंद, गोरधनलाल, सुखदेव, रामदेवराम, जगदीशराम, ईश्वरराम पि. सुरजकरण मु. तीजादेवी पत्नी सुरजकरण जाति गुर्जर निवासी भाटीपुरा हिस्सा 3.92 हैक्टयर नन्दलाल पुत्र सुखदेव के हिस्सा ग.से दर्ज रिकार्ड है। तत्पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2075–78 पेश की हैं जिसमें सभी खातेदारों का हिस्सा दर्ज करते हुए सभी की जाती ब्राहम्ण अंकित कर दी गई हैं। जबकी पूर्व जमाबन्दी से स्पष्ट हैं कि प्रतिवादी 1 की जाति जाट हैं एवं प्रतिवादी 3 से 8 की जाति गुर्जर है। वादीगण व प्रतिवादीगण के बिच भूमि में दर्ज हक हिस्से को लेकर कोई विवाद नहीं हैं तथा वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें को सभी वादीगण व प्रतिवादी 1 से 8 ने स्वीकार किया हैं तथा मौके पर भौतिक रूप से हो रखे बंटवारे को सही होना स्वीकार किया हैं तथा इसी अनुसार खातेदारी में दर्ज कर अलग अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त विवातिद भूमि के रिकार्ड सह खातेदार काश्तकार हैं जिन्होनें से न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को सही होना स्वीकार किया हैं तथा सभी ने अपना अपना मौके पर भौतिक रूप से बंटा होना बताया हैं उसी प्रकार खातेदारी घोषणा की जाकर अलग अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है, किसी भी खातेदार को कोई एतराज नहीं हैं जिससे इस वाद में बंटवारा प्रस्ताव मंगवाऐ जाने की आवश्यकता नहीं हैं सभी ने अपना अपना हिस्सा व मौके पर हो रखे बंटवारे के अनुसार दिशा अंकित की हैं जिससे वादीगण का वाद व प्रतिवादी 1 से 8 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किऐ जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद व प्रतिवादीगण 1 से 8 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम लाखनपुरा के खसरा नम्बर 269, 271, .

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

274 कुल रकबा 12.06 हैक्टयर भूमि खसरा नम्बर 271 रकबा 6.24 हैक्टयर भूमि में पश्चिमी तरफ की 6.03 हैक्टयर भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। खसरा नम्बर 269 रकबा 1.65 हैक्टयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 271 रकबा 6.24 हैक्टयर में पश्चिमी सीव के पास--पास 0.038 कुल 1.688 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं खातेदारी में प्रतिवादी 1 की जाति ब्राहम्ण के स्थान पर जाट अंकित की जावे। खसरा नम्बर 274 रकबा 4.17 हैक्टयर भूमि में पूर्वी तरफ की 3.92 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 3 से 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं खातेदारी में प्रतिवादी 3 से 8 की जाति ब्राहम्ण के स्थान पर गुर्जर अंकित की जावें इसी प्रकार खसरा नम्बर 271 की भूमि में से पूर्वी सीव के पास--पास 0.172 हैक्टयर भूमि का व खसरा नम्बर 274 में पश्चिमी सीव के पास – पास 0.250 हैक्टयर कुल 0.422 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार वादीगण व प्रतिवादी 1 से 8 की खातेदारी दर्ज कर अलग अलग होल्डिंग कायम की जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। जिस खातेदार का हिस्सा जिस बैंक के रहन हैं वों अलग होल्डिंग कायम होने बाद भी रहन दर्ज रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)